आयोजनेत्तर-राज्य सेक्टर

संख्या-9/2015/620 /चौदह-4-2015-500(44) /2014

प्रेषक,

शहजादे लाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वन अनुभाग- 4 लखनऊ दिनांक, 15 अप्रैल, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष-2015-16 में अनुदान संख्या-60-वन विभाग के वचनबद्ध व्यय (आयोजनेत्तर) के अन्तर्गत आय-व्ययक प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या--2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 30 मार्च, 2015 के क्रम में निदेशक वित्त, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 के पत्र संख्या-ब-307/21-5(1)/2015-16 दिनांक 06.03.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के उक्त कार्यालय ज्ञाप में निहित निर्देशों एवं प्रतिबंधों के अधीन अनुदान सं0-60-वन विभाग के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत संलग्न विवरणानुसार धनराशि मतदेय रू0 58959.39 लाख तथा भारित रू0 13.70 लाख अर्थात कुल रू0 58973.09 लाख (रू0 पॉच अरब नवासी करोड़ तिहत्तर लाख नौ हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट/ मैनुअल और फाइनन्शियल हैण्ड बुक के नियम अथवा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा शासन को वर्तमान आदेशानुसार शासन के अथवा सक्षम अधिकारियों की पूर्व सहमति लिया जाना अपेक्षित हो उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि केवल चालू योजनाओं के लिए है। इसका व्यय नयी मदों/सेवाओं पर कदापि न किया जाय।

3- अनुदान के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी.ए.-1191/दस-2009-मित-एक/2007 दिनांक 26 अक्टूबर, 2009 एवं इस संबंध में

http://shasanadesh.up.nic.in

समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

5- यह भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक निश्चित योजनावार समयबद्ध सारणी बनायी जायेगी तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराया जायेगा।

6- अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग मासिक आधार पर अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध करायी जाये और स्वीकृतियॉ/ आवंटन के सापेक्ष उससे अधिक धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जायेगा।

7- नियंत्रक अधिकारी बजट मैनुअल पैरा-88 के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय। । वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी विनियोग के प्राथमिक इकाई के अधीन अनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर होने की संभावना मालूम पड़े तो उसे तत्काल शासन के संज्ञान में लाया जाय।

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 30 मार्च, 2015 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(शहजादे लाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या-620 (1)/चौदह-4-2015 तदिदनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9- वन अनुभाग-1/2/3/5
10- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

http://shasanadesh.up.nic.in

आज्ञा से,

(शहजादे लाल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in